



पत्रांक : 227 / फा०स०-419 / अधिष्ठाता / डॉ. श. मि. रा. पु. वि. / 2024-25

दिनांक: ०५ मई, 2024

कार्यालय-आदेश

उच्च शिक्षा विभाग के शासनादेश संख्या-1267/रात्तर-3-2021-16 (26)/2011, दिनांक 15.06.2021 द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के अनुरूप "च्याइस वेस्ड क्रेडिट सिस्टम" (CBCS) पर तैयार न्यूनतम समान पाठ्यक्रम को प्रदेश के समस्त विश्वविद्यालयों में लागू किये जाने हेतु निर्गत शासनादेश को दिव्यांगजन सशक्तीकरण अनुभाग-3 के शासनादेश संख्या- 18133/65-3-2022, दिनांक 01 जुलाई, 2022 द्वारा उच्च शिक्षा के उक्त शासनादेश दिनांक 15.06.2021 में वर्णित प्राक्धानों के आलोक में न्यूनतम समान पाठ्यक्रम के अनुसार संकायों के पुनर्गठन की कार्यवाही किये जाने पर अनुमति प्रदान की गई है।

तत्क्रम में विश्वविद्यालय की मा० कार्य परिषद की 40वीं बैठक दिनांक 19 अगस्त, 2022 एवं मा० कार्य परिषद की 41वीं बैठक दिनांक 07.11.2022 में प्रदत्त अनुमोदन के क्रम में विश्वविद्यालय के पत्रांक 186/फा०स०-225/कार्य०परि०/डॉ.श.मि.रा.पु.वि./2024-25, दिनांक 01 मई, 2024 द्वारा विश्वविद्यालय सृजित विभिन्न संकायों/विभागों का पुनर्गठन किया गया है।

विश्वविद्यालय की प्रथम परिनियमावली, 2009 के अध्याय-5 में संकायों के संकायाध्यक्ष सम्बन्धी धारा-5.01 से 5.04 में निहित व्यवस्था के अन्तर्गत विश्वविद्यालय के संचालित पाठ्यक्रमों के सुचारु संचालन, शिक्षकवृन्द एवं विद्यार्थियों की दैनिक आवश्यकताओं के त्वरित निस्तारण तथा विश्वविद्यालय प्रांगण में शैक्षिक अनुशासन बनाये रखने के लिए मा० कुलपति महोदय द्वारा प्रदत्त अनुमोदन के क्रम में प्रो० सी० के० दीक्षित, आचार्य, भौतिक विज्ञान विभाग को विज्ञान संकाय (Faculty of Science) का संकायाध्यक्ष 03 वर्ष के लिए नामित किये जाने का निदेश हुआ है।

उपरोक्त मद पर कार्य हेतु कोई विशेष वेतन अथवा अन्य भत्ता देय नहीं होगा। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

(रोहित सिंह)
कुलसचिव

पृष्ठांकन संख्या व दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. वैयक्तिक सहायक कुलपति, मा० कुलपति महोदय के सादर अवलोकनार्थ।
2. वित्त अधिकारी, विश्वविद्यालय।
3. समस्त संकायाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष, विश्वविद्यालय।
4. कुलानुशासक/परीक्षा नियंत्रक।
5. प्रो० सी० के० दीक्षित, आचार्य, भौतिक विज्ञान विभाग।
6. सम्बन्धित संकाय के समस्त शिक्षकवृन्द।
7. समस्त अधिकारीगण।
8. सिस्टम एनालिस्ट को विश्वविद्यालय की वेबसाइट अपलोड हेतु।
9. सम्बन्धित की व्यविलगत पत्रायली हेतु।
10. गार्ड फाइल।

(रोहित सिंह)
कुलसचिव